न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 04 / 2024
स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रार्थी

बनाम

श्री दीनदयाल पुत्र कृष्ण कुमार, ब्राहम्ण निवासी हरदास वाली, बिवलावास तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः— 1 श्री शिवराज सिंह बराड राजकीय अधि0।
2 श्री रामकुमार करवा अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —27.03.2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.08.2023 को विश्व प्रकाश चारण तहसीलदार, संगरिया द्वारा संगरिया में संदिग्ध रूप से घुमती हुई पिक अप वाहन संख्या RJ-49GB-0072 को रोककर जॉच की गई। जॉच के दौरान 11 ड्रम व 03 जेरिकन में कुल 3121 लीटर डीजल पाया गया। गाडी के ड्राईवर श्री दीनदयाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी हरदास वाली बिवलावास, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ ने पुछताछ में उसने अपने सेठ जगदीश धेतरवाल के लिए डीजल ले जाना बताया। डीजल के अवैध स्टॉक, परिवहन तथा बेचान का प्रकरण पाये जाने पर उक्त वाहन को मय ड्रम व जेरिकन तथा 3121 लीटर डीजल जब्त किया गया । उक्त जब्तशुदा वाहन मय 3121 लीटर डीजल पुलिस थाना संगरिया को सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त पिक अप वाहन में बडी मात्रा में डीजल के पाये जाने से डीजल की खरीद—बिक्री का मामला पाया जाने पर डीजल के अवैध स्टॉक, अवैध परिवहन तथा अवैध बिक्री /व्यापार के कारण मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 3 तथा 4 का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा कुल 3121 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 03 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-49GB-0072 को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि जब्तशुदा डीजल का पुनः नाप करवाया जावे। ... इस न्यायालय के पत्रांक 170 दिनांक 14.03.2024 द्वारा जिला रसद अधिकारी ... को पुनः जांच हेतु लिखा गया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ... 2024 ... जब्तशुदा वस्तु की पुनः नाप कर रिपोर्ट प्रेषित की। पुनः नाप की रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा वाहन पिक... रखे कुल 11 ड्रमों तथा 03 जरीकेन में कुल 2470 ली... डीजल पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:01 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2024 को जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि दिनांक 22.08.2023 को तहसीलदार संगरिया संदिग्ध रूप से घुमती पिकअप की जांच की गई, मिथ्या व निराधार अंकित किया है। जबकि उक्त वाहन दिनांक 22.01.2024 को बिना पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाये सीज किया गया है। अप्रार्थी के वाहन में 3121 लीटर डीजल नहीं पाया गया क्योंकि प्रार्थी बालाजी फिलिंग स्टेशन कन्दूखेडा से केवल मात्र 2470 लीटर डीजल ही भरवाकर लाया था व इस न्यायालय के आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ वाहन के टैंक में रखे डीजल सहित ही 2500 लीटर डीजल से कम मात्रा में डीजल प्रार्थी के वाहन में पाया है। भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय के आदेश के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर तक पैट्रोलियम पदार्थ की खरीद सकता है। तहसीलदार संगरिया ने बिना अधिकारिकता के निर्धारित मात्रा से कम मात्रा को अधिक बताकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो विधि विरुध प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई डीजल की खरीद बिक्री नहीं की जा रही बल्कि निर्धारित मात्रा से कम डीजल अपने कृषि कार्य व घरेलू उपयोग हेतु मालिक का डीजल लेकर जा रहा था व डीजल खरीद के बिल भी अप्रार्थी ने तहसीलदार को सौंप दिये थे। यह कार्यवाही कानून के विपरित है यदि निर्धारित मात्रा से अधिक होती तो 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टेट जरिये तहसीलदार द्वारा किए दर्ज कराई जा सकती है। अतः जबाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि है अप्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा जब्तशुदा डीजल मय 11 ड्रम व 03 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-49GB-0072 जब्त किया गया है। उक्त ड्रमों व जेरिकन की क्षमता देखी जाये तो 2500 लीटर से अधिक है। तहसीलदार द्वारा अवैध स्टॉक, परिवहन तथा बेचान का प्रकरण पाये जाने पर जब्ती की कार्यवाही की गयी है। अवैध स्टॉक, परिवहन तथा बेचान का प्रकरण पाये जाने पर अवैध डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा अपने 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रार्थना पत्र में 3121 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 03 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-49GB-0072 जब्त होना बताया गया जबकि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ की पुनः नाप की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी से कुल 2470 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 03 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-49GB-0072 तहसीलदार से जब्त होना बताया गया है।

1. वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार संगरिया द्वारा जब्तशुदा 3121 लीटर डीजल 11 ड्रमों व 03 जेरिकनों में होना बताया गया है। यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त डीजल की माप किस आधार पर की गई? जब्तशुदा ड्रमों व जरिकेनों के हिसाब से माप सही प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार संगरिया द्वारा यह भी अंकित नहीं किया कि किस–किस ड्रम व जरीकेन में कितना–कितना डीजल भरा हुआ था या कितने–कितने खाली थे? ना ही ... जिससे स्पष्ट है कि केवल अनुमान के आधार पर कार्यवाही की है, जिसको ... नहीं किया जा सकता है। जबकि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त डीजल की माप 2470 लीटर ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:01 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

2. वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होगें। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र सरकार के आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। जहां पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के किसी आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। वहां ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें।

3. अप्रार्थी के विरूद्ध कोई 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं है।

उक्त विवेचना के आधार पर केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद कोई भी व्यक्ति रख सकता है। अप्रार्थी राजुराम के पास 2470 लीटर डीजल रखने का अधिकार था। अप्रार्थी को 2470 लीटर डीजल रखने के लिये किसी लाईसेन्स / परमिट की आवश्यकता नहीं थी। उक्त पैट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी के द्वारा किसी को विक्रय किया जा रहा हो अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध किया जा रहा हो ऐसा रिकॉर्ड से प्रकट नहीं होता है। दस्तावेज / साक्ष्य के अभाव में स्टेट द्वारा प्रस्तुत 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है ।

स्टेट द्वारा प्रस्तुत 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना ड्रॉप किया जाना उचित समझते है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा जब्तशुदा उक्त जब्तशुदा समस्त 2470 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 03 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-49GB-0072 जब्ती से वागुजार (मुक्त) किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा वाहन के इंजन नम्बर व चैसीस नम्बर का पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये तथा 2470 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 03 जेरिकन अप्रार्थी को सौंप दिये जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:01 IST
Reason: Self Attested

(उम्मेदी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner